

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

ग्रामीण विकास जमाबन्दी विभाग-2015

राजस्व ग्राम <u>खडात</u> पं०मं <u>खडात</u> मू०अ०नि०वृत्त <u>आबूरोड</u> तहसील- <u>आबूरोड</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	196	632	0.7081	हंसा पुत्र खासा (हि. पूर्ण जाति - माली सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) मल्हारावामीग बैंड शाखा आबूरोड	हंसराम पुत्र खासा हि. पूर्ण जाति-माली सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) मल्हारावामीग ग्रामीण बैंड शाखा आबूरोड	

मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् 2076-2079 (वर्ष 2019/से) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड के समक्ष श्रवण योग्य है।

Bhambh
24/12/25
 उपखण्ड अधिकारी
 पंचम मण्डल खडात
 पं०मं
 तहसील-आबूरोड (सिरोही)

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

[Signature]
 ह० मू०अ०नि०
 24/12/25

प०हल्का खडात मू०अ०नि० आबूरोड की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण धन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड को सादर प्रेषित है।

[Signature]
24/12/25
 ह० राजस्व अधिकारी
 जिला-सिरोही

प०हल्का खडात मू०अ०नि० आबूरोड राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड कार्यालय आबूरोड
 ह० उपखण्ड अधिकारी

दिनांक _____

दिनांक 24/12/25